कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 167/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 02.05.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 02.05.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

प्रेस नोट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 02.05.2026

बारात में मामूली विवाद में हत्या, 02 अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस की त्वरित कार्यवाही, घटना में प्रयुक्त चाकू, डण्डा व राड़ बरामद
अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी

आजमगढ़। थाना जीयनपुर क्षेत्र में बारात के दौरान हुए विवाद में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किया है।

दिनांक 29.04.2026 को वादी राजेश निषाद पुत्र प्रशुराम निषाद निवासी ग्राम बेलसड़ी, पोस्ट टाड़ा थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर द्वारा थाना जीयनपुर पर तहरीर दी गई कि जयमाला के दौरान कूलर लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर नामजद अभियुक्तगण कमलेश निषाद, महेश निषाद, रामभजन निषाद, राममिलन निषाद सहित अन्य लोगों द्वारा वादी पक्ष के व्यक्तियों पर लाठी-डण्डा, रॉड एवं चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अमीरचन्द निषाद को अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 0195/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 109, 103 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण में दिनांक 02.05.2026 को प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. रामभजन निषाद पुत्र शिवकुमार निषाद उम्र 22 वर्ष एवं 2. राममिलन निषाद पुत्र शिवकुमार निषाद उम्र 19 वर्ष निवासीगण इन्दिरानगर अजमतगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को रजादेपुर चौराहे से समय करीब 01:25 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 चाकू, 02 डण्डे एवं 01 लोहे की राड़ बरामद की गई।

उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास उक्त मुकदमे से संबंधित है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह, उ0नि0 अजय यादव (चौकी प्रभारी अजमतगढ़), उ0नि0 अमित कुमार वर्मा, का0 बुटाई साह, का0 अवधेश कुशवाहा, का0 शैलेश कुमार यादव, का0 विन्द्रेश कुमार गौड़, का0 अक्षय प्रसाद एवं म0का0 प्रियंका त्रिपाठी शामिल रहे।

प्रेस नोट, थाना पवई, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 02.05.2026

नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की सक्रियता से अभियुक्त खेमीपुर से दबोचा गया
अपहरण प्रकरण में त्वरित कार्रवाई, आरोपी न्यायालय भेजा गया

आजमगढ़। थाना पवई पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगाने के मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

घटना के संबंध में दिनांक 15.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना पवई पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 12.03.2026 को उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त राजन पुत्र रोशन राजभर निवासी ग्राम कोहड़ा जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर भगा ले जाया गया। इस आधार पर थाना पवई पर मु0अ0सं0 58/26 धारा 87/137(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त राजन पुत्र रोशन राजभर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कोहड़ा जनपद आजमगढ़ को खेमीपुर से समय करीब 07:40 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का विधिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया।

उक्त अभियोग मु0अ0सं0 58/26 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना पवई पर पंजीकृत है तथा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास इसी मुकदमे से संबंधित है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 ओमप्रकाश मिश्रा, कांस्टेबल अनुराग यादव एवं कांस्टेबल सुमित यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

प्रेस नोट, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 02.05.2026

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार
पोक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में वांछित अभियुक्त पुलिस गिरफ्त में
त्वरित कार्यवाही के फलश्वरुप परदेशी मोड़ से किया गया गिरफ्तार

आजमगढ़। थाना जहानागंज पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने के गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

घटना के संबंध में दिनांक 10.03.2026 को वादिनी द्वारा थाना जहानागंज पर प्रार्थना पत्र दिया गया था कि दिनांक 08.03.2026 को उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त शुभम सरोज पुत्र हरेश सरोज निवासी ग्राम बरदह द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0 52/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें विवेचना के दौरान धारा 64(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.05.2026 को व0उ0नि0 सविन्द्र राय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शुभम सरोज उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम बरदह हरिजन बस्ती

(नहर के किनारे) पो0 बरदह तहसील लालगंज थाना बरदह जिला आजमगढ़, हाल पता ग्राम कोल्हुखोर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को परदेशी मोड़ से समय करीब 10:18 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का विधिक कार्यवाही करते हुए चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 52/2026 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट थाना जहानागंज पर पंजीकृत है। अभियुक्त का **आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0 111/2024 धारा 323/504/506/294 भादवि थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़** में दर्ज है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में व0उ0नि0 सविन्द्र राय, कांस्टेबल विशाल चौधरी, हे0का0 राकेश कुमार यादव एवं कांस्टेबल हेमन्त वर्मा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

प्रेस नोट, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़
दिनांक– 02.05.2026

मारपीट के बाद हुई हत्या का खुलासा, 02 आरोपी गिरफ्तार
पुलिस की त्वरित कार्रवाई, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद
सख्त पुलिसिंग से फरार आरोपियों पर शिकंजा, दबिश जारी

आजमगढ़। थाना बरदह पुलिस ने मारपीट के बाद युवक की हत्या के गंभीर मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किया है।

घटना के अनुसार दिनांक 25.04.2026 को वादिनी द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि उसके पुत्र अनिल पाण्डेय पुत्र स्व0 सुबास पाण्डेय को दिनांक 18.04.2026 को अभियुक्तगण मोहित यादव, हरवंश यादव एवं रामकिशुन यादव द्वारा मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में थाना बरदह पर मु0अ0सं0 148/26 धारा 103(1), 131 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 02.05.2026 को थानाध्यक्ष बरदह उ0नि0 राजीव कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. हरवंश यादव पुत्र मोहित यादव एवं 2. रामकिशुन यादव पुत्र मोहित यादव निवासीगण ग्राम मैनपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को केदलीपुर नहर पुलिया से समय करीब 08:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 डण्डा (आलाकत्ल) बरामद किया गया तथा अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास उक्त मुकदमे से संबंधित है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा सतत दबिश दी जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, हे0का0 कमलेश सैनी, रि0का0 कृष्णा सिंह एवं रि0म0आरक्षी खुश्बू यादव थाना बरदह जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 02.05.26 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 15.08.2014 को वादी मुकदमा उ0नि0 एनलहक खाँ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्व0 मितलू यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक जरीकेन मे 20 लीटर जहरीली शराब बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 192/2014 धारा- 272,273,284 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 02.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन)-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सुभाष यादव पुत्र स्व0 मितलू यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (18 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 02.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को नाजायज चाकू रखने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए **न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज चाकू रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 15.12.2010 को वादी मुकदमा का0 मुस्ताक अहमद थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त गुलजार पुत्र जलालुददीन निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अदद नाजायज चाकू बारमद होना ।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-1279/2010 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 02.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त गुलजार पुत्र जलालुददीन निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**